



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 4993

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44807 सन् 2025

कलावती

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:-

देव प्रकाश सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:-

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री देव प्रकाश सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री आर.के. निषाद, राज्य के विद्वान संक्षिप्त धारक को सुना गया और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक कलावती की ओर से मामला अपराध संख्या 204 of 2025, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20 के अंतर्गत, थाना मानिकपुर, जिला चित्रकूट में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि आवेदक के कब्जे से 2 किलोग्राम गांजा बरामद होना कथित है जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वास्तव में आवेदक से कोई ऐसी बरामदगी नहीं की गई। यह भी कहा गया है कि चूँकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, अपराध में उसके झूठे फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क किया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक परेशान करने और उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में झूठा फँसाया गया है। आवेदक, जो दिनांक 10.11.2025 से जेल में है और जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत विद्वान संक्षिप्त धारक ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता जो प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति में संलिप्त है, इसलिए आवेदक किसी अनुग्रह की अधिकारी नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हो जाएगी।

मामले के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दंड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किंतु गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि यह जमानत देने के लिए उचित मामला है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **कलावती**, जो उक्त मामला अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसी राशि की व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि:-

1. आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान साक्षियों को डरा-धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
2. आवेदक बिना कोई स्थगन माँगे विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगी।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगी।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा। मुचलका स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास का सत्यापन किया जाए।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।